FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

भूरे खां बनाम पीरे खां बगैरा

किस्म मुकदमा रा. आवेदन नं. 65/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सिकन्दर खां मियाणा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 123 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/04/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
05/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फिर्द तामील शामिल पत्रावली। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/07/21 को पेश हो।	
12/07/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फिर्द तामील शामिल पत्रावली। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 02/10/2021 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

02/10/2021

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बायतु भोपजी में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील, किरम तामील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि सेरा लेन मय हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेरा लेन प्रार्थी व विपक्षीगणों के सेरो के मध्य आये हुए थे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मेडे पुरानी मांडे व डोली आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा खेत के मेडो को लेकर तनाजा बना रहता है। प्रार्थी का कथन खेत के मेडो का सही ज्ञान करने हेतु नैपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए नैपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नैपमबंदी आदेश जारी किया जावें।

अतः प्रार्थी का नैपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नैपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर दोनों पक्षों के समक्ष करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 1232

दिनांक : 02/10/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भूरेखां पुत्र हुसैनखां वगैरा जाति तेली निवासी माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. पीरेखां पुत्र वलीमोहम्मदखां वगैरा जाति तेली निवासी माधासर तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 65/2021

आदेश

मौजा जसनाथ नगर पटवार हल्का बायतु भोपजी के खेत खसरा नम्बर 714 रकबा 1.9901 हैक्टयर की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 1233 to 1237

दिनांक : 02/10/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु भोपजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भूरेखां वगैरा।
4. विप्रार्थीगण पीरेखां वगैरा।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.12 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु